ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 एम0 वाद सं0–103/2020–21

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
28.02.24	**आदेश** प्रस्तुत आर०एम० वाद संख्या–103/2020–21 (मुबारक अंसारी –बनाम–अजीज मियां) आवेदक–मुबारक अंसारी, पिता–स्व0 खलील अंसारी, साकिन–पटवाबाद, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा मौजा–पटवाबाद, थाना नं0–221, जमाबंदी नं०–32, दाग नं०–272, 273, 274 एवं 275 अंश रकवा–09 डी0 जमीन पर विपक्षी–अजीज मियां, पिता–चुटरी मियां एवं अन्य द्वारा आवेदक को मकान बनाने में अवरूद्ध किये जाने के कारण संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–18 के तहत् समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। 2. इस संबंध में अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–304/रा०, दिनांक–08.04.2023 द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा–पटवाबाद, थाना नं0–221, जमाबंदी नं०–32, दाग नं०–110, 273, 274 एवं 275 कुल रकवा–72 डी0 किस्म–बाड़ी मेहरली मियां वो रोजन मियां वो समतल्ली मियां वो अब्दुल सिद्धीक मियां पेशरान भीखन मियां कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक–मुबारक अंसारी खतियानी रैयत मेहरली मियां के वंशज है एवं विपक्षी–अजीज मियां खतियानी रैयत अब्दुल सिद्धिक मियां के वंशज है। उक्त मामला आपसी बंटवारा से संबंधित है। 3. उपरोक्त तथ्यों एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज एवं मामला पारिवारिक बंटवारा से संबंधित है। ऐसी स्थिति में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–18 के तहत् किसी प्रकार की कार्रवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं शुद्धित** 28/02/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 28/02/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.08.20 12:45:57 +05:30
Location: 192.168.29.15